न्यायालयः परिवार न्यायाधीश–बालोद (छ.ग.)

फोन एवं फैक्स नं. 07749–223077, ई–मेल : balod.court@nic.in

।।आदेश।।

क्रमांक 28/दो–11–1/2020 बालोद, दिनांक 22/11/2023

माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 6049/डीई/तीन–18–27/2023 बिलासपुर, दिनांक 12.05.2023 व संलग्न छ.ग. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटलनगर, नवा रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र. 6031/21–ब/छ.ग./2023 रायपुर, दिनांक 11.05.2023 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, का पत्र क्रमांक एफ 13–1/2023/आ.प्र./1–3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 के द्वारा सीधी भर्ती के पदों पर दिये गये अनुमति के आधार पर तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 7359/डी.ई./तीन–18–27/2000 बिलासपुर, दिनांक 23.06.2023 संलग्न छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक 6695/1902/21–ब/छ.ग./2023 रायपुर, दिनांक 26.05.2023 के आलोक में परिवार न्यायालय, स्थापना बालोद में सहायक ग्रेड–3 के रिक्त पदों की पूर्ति, भर्ती एवं चयन समिति, परिवार न्यायालय, बालोद से प्राप्त प्रतिक्षा सूची के आधार पर निम्नलिखित उम्मीदवार को सहायक ग्रेड–3 (वेतनमान 19500–62000, वेतन मेट्रिक्स लेवल–4) के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता हैः–

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	नियुक्ति का वर्ग	अभ्यर्थी का वर्ग	पता
1	2	3	4	5	6
1	**श्री घनश्याम**	श्री सुखराम	अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त)	अन्य पिछड़ा वर्ग	ग्राम रेंगाकठेरा, पोस्ट रानीतराई, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड – 491223

छ.ग. सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अधीन नियुक्ति की शर्तें :–

(1) चयनित उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र एवं समस्त दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति तथा अवलोकनार्थ मूल प्रति, सेवा पुस्तिका (02 प्रति में), कार्यभार ग्रहण के समय साथ लेकर उपस्थित होंगे।

(2) आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवार को जाति प्रमाण पत्र, यदि पूर्व से सत्यापित न हो, उच्च स्तरीय छानबीन समिति से एक माह के भीतर सत्यापित कराना होगा।

(3) नियुक्त कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करते समय जिला चिकित्सालय के जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरांत मेडिकल प्रमाण–पत्र के साथ ही कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होंगे।

(4) नियुक्त कर्मचारी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा रखेंगे। आज्ञाकारिता के उत्कृष्ट मानदंड के अनुसार कार्य करेंगे तथा सौंपे गये कार्य को सहर्ष पूरा करेंगे।

(5) नियुक्त कर्मचारी को अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा तथा चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर व किसी प्रकार के अपराध में संलिप्तता होने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

(6) नियुक्त कर्मचारी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किया जाता है।

(7) यदि शासकीय सेवक, सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें कार्यालय प्रमुख को एक माह पूर्व सूचना देना होगा अथवा एक माह का वेतन तथा उस पर देय सभी भत्ते सहित जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना है तो एक माह की पूर्व सूचना दी जावेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन देकर तुरंत सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।

(8) सेवा के प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिए अनुमति नहीं दी जावेगी, आगे नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा, अन्यत्र नौकरी हेतु भी नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(9) शैक्षणिक अथवा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा अन्य किसी युक्तियुक्त कारणों से नियुक्ति निरस्त करने योग्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।

(10) सभी नियुक्त कर्मचारी को दिनांक 06.12.2023 तक अनिवार्य रूप से न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बालोद के कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। नियत अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

(11) यह नियुक्ति आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के WPC No. 591/2012, 592/2012, 593/2012, 594/2012 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में प्रस्तुत एस.एल.पी.(सी.) कमांक 19668/2022 में पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगा।

22/11/2023

न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
बालोद (छ.ग.)

पृष्ठां0 कमांक 162/दो–11–1/2020 **बालोद, दिनांक 22/11/2023**

प्रतिलिपि :–

1. **माननीय रजिस्ट्रार जनरल,** छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. **अध्यक्ष,** भर्ती एवं चयन समिति, परिवार न्यायालय, बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. **जिला कोषालय अधिकारी,** बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,** बालोद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. **प्रभारी अधिकारी,** नजारत अनुभाग, बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. **लेखापाल/देयक लिपिक,** कार्या0 न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बालोद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. **श्री घनश्याम** पिता सुखराम, पता–ग्राम रेंगाकठेरा, पोस्ट रानीतराई, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड – 491223 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
बालोद (छ.ग.)

ok